

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार
तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 31.10.2015

आज दिनांक 31.10.2015 को तकनीकी समूह की बैठक कलेक्टर सभा में आयोजित की गई। जिसमें उन्नशील कृषकगण एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती जय श्री कियावत कलेक्टर महोदया द्वारा कि गई।

विषय क्रमांक 01:- जिले मे उपजाई (उगाई) जाने वाली मुख्य फसलो का ऋणमान निर्धारण करने बाबत्।
निर्णय 01 :- जिले मे उपजाई जाने वाली मुख्य-मुख्य फसलो का प्रति हेक्टर कुल लागत एवं उत्पादन के आधार पर कृषको के द्वारा बोई जाने वाली मुख्य-मुख्य फसलों का निम्नानुसार ऋणमान का निर्धारण किया जाता है।

कं.	नाम फसल	प्रति हेक्टर उत्पादन क्विं. मे	भाव प्रति क्वि. रूपये मे	प्रति हेक्टर कुल आमदनी रूपये मे	ऋण अदायगी क्षमता कुल आमदनी 50 %	ऋण सीमा प्रति हेक्टर ऋण अदायगी क्षमता का		कमेटी द्वारा निर्धारित अप्लपकालीन ऋण सीमा (प्रति हेक्टर) रूपये में
						35%:एस.टी. अल्पकालीन ऋण	15%:एम.टी मध्यकालीन ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	खरीफ फसले							
1	ज्वार	20 से 25	1150	28750	14375	10062	4313	10000
2	संकर मक्का	50 से 60	1300	65000	32500	22750	9750	20000
3	कपास असिंचित	10 से 15	3000	45000	22500	15750	6750	15700
4	कपास सिंचित	25 से 30	5200	156000	78000	54600	23400	50000
5	मिर्ची असिंचित	15 से 20	3400	68000	34000	23800	10200	23800
6	मिर्ची सिंचित	40 से 50	3400	170000	85000	59500	25500	55000
7	मूँगफली	15 से 20	3500	52500	26250	18375	7875	18300
8	सोयाबीन	15 से 22	3800	83600	41800	29260	12540	28500
9	तुअर/अरहर	12 से 16	6000	72000	36000	25200	10800	22000
10	साग-सब्जी	200 से 250	425	106250	53125	37188	15937	37000
11	कैला	400 से 500	400	200000	100000	70000	30000	65000
12	पपीता	350 से 400	430	172000	86000	60200	25800	60000
13	मूँग उडद	6 से 10	5000	50000	25000	17500	7500	15000
	रबी							
1	गेहूँअर्द्धसिंचित	20 से 26	1200	31200	15600	10920	4680	10900
2	गेहूँ सिंचित	40 से 50	1550	82500	41250	28875	12375	28000
3	चना असिंचित	08 से 10	3000	30000	15000	10500	4500	10500
4	चना सिंचित	16 से 20	4300	86000	43000	30100	12900	27000
5	गन्ना	1000	220	220000	110000	77000	33000	70000
6	आलू	200से250	900	225000	112500	78750	33750	78700
7	साग-सब्जी	200से250	425	106250	53125	37188	15937	37000
8	अदरक	100	5000	500000	250000	175000	75000	175000

उपरोक्त साधारण फसल के अतिरिक्त विपुल उत्पादन योजनान्तर्गत उन्नत तरीको से खेती करने वाले कृषक सदस्यो द्वारा निम्न फसल उत्पादन एवं बीज उत्पादन/औषधियों हेतु फसल ऋणमान निर्धारण किया जाता है।

कं.	नाम फसल	प्रति हेक्टर उत्पादन क्विं. मे	भाव प्रति क्वि.रूपये मे	प्रति हेक्टर कुल आमदनी रूपये मे	ऋण अदायगी क्षमता कुल आमदनी 50 %	ऋण सीमा प्रति हैक्टर ऋण अदायगी क्षमता का		कमेटी द्वारा निर्धारित अप्लकालीन ऋण सीमा (प्रति हेक्टर) रूपये में
						35:%एस.टी. अल्पकालीन ऋण	15%:एम.टी. मध्यकालीन ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
साग-सब्जी :-								
01.	संकर भिण्डी	200 से 250	500	100000	50000	35000	15000	20000
02.	संकर टमाटर	300 से 400	700	280000	140000	98000	42000	100000
03.	संकरगोभी/पत्ता गोभी	300 से 350	275	82500	41250	28875	12375	26400
04.	आलू	200 से 250	900	225000	112500	78750	33750	78000
05.	प्याज	200 से 250	550	137500	68750	48125	20625	48000
06.	लहसून	100 से 105	2000	210000	105000	73500	31500	75000
उद्यानिकी फसले:-								
01.	नींबू	300	800	240000	120000	84000	36000	84000
02.	आम	200 से 250	550	137500	68750	48125	20625	48000
03.	अमरुद	200 से 250	425	106250	53125	37188	15937	36000
04.	संतरा	300 से 400	800	280000	140000	98000	42000	96000
05.	आँवला	105	1000	105000	52500	36750	15750	36000
06.	सीताफल	150 से 200	500	75000	37500	26250	11250	24000
औषधिय फसले :-								
01.	मैथ्या	300	600	180000	90000	63000	27000	60000
02.	लेमनग्रास	250	850	212500	106250	74375	30000	72000
03.	धोली मूसली सफेद	6 से 9	13000	117000	58500	40950	14850	40800

.....3.....

.....3.....

विषय क्रं 02 :- अल्प अवधि फसल ऋण वितरण के लिये प्रति हेक्टर नकद एवं वस्तु ऋण सीमा का निर्धारण करने बाबत।

निर्णय 02 :- कृषक की कुल उपज की आमदनी के आधार पर 50 प्रतिषत ऋण अदायगी क्षमता के मान से अल्पावधि ऋण वितरण हेतु 35 प्रतिषत भाग नगद एवं वस्तु भाग के लिए निम्नानुसार ऋण सीमा निर्धारण की जाती है। वस्तु ऋण मे रासा. खाद,जैविक खाद,बीज,कल्चर इत्यादि दिया जावे।

क्रमांक	नाम फसल	फसलवार प्रति हेक्टर ऋणमान प्रस्तावित		
		नगद	वस्तु	योग
	खरीफ			
01.	ज्वार	7500	2500	10000
02.	संकर मक्का	15000	5000	20000
03.	कपास असिंचित	11775	3925	15700
04.	कपास सिंचित	37500	12500	50000
05.	मिर्ची असिंचित	17625	5875	23800
06.	मिर्ची सिंचित	41250	13750	55000
07.	मूँगफली	13500	4500	18300
08.	सोयाबीन	21375	7121	28500
09.	तुअर/अरहर	16500	5500	22000
10.	साग-सब्जी	27000	9000	37000
11.	कैला	48750	16250	65000
12.	पपीता	45000	15000	60000
13.	मूँग/उडद	11250	3750	15000
	रबी			
01.	गेहूँ अर्द्धसिंचित	8100	2700	10900
02.	गेहूँ सिंचित	21000	7000	28000
03.	चना असिंचित	7875	2625	10500
04.	चना सिंचित	22500	7500	27000
05.	गन्ना	52500	17500	70000
06.	आलू	58500	19500	78700
07.	साग-सब्जी	27000	9000	37000
08.	अदरक	131250	43750	175000

....

...4.....

.....4.....

उपरोक्त साधार फसल के अतिरिक्त विपुल उत्पादन योजनान्तर्गत उन्नत तरीको से खेती करने वाले कृषक सदस्यों द्वारा फसले उत्पादन एवं बीज उत्पादन/औषधियों हेतु फसल ऋणमान प्रस्तावित।

क्रमांक	नाम फसल	फसलवार प्रति हेक्टर ऋणमान		
		नगद	वस्तु	योग
साग-सब्जी :-				
01.	संकर भिण्डी	14400	4800	20000
02.	संकर टमाटर	75000	25000	100000
03.	संकरगोभी/पत्ता गोभी	19800	6600	26400
04.	आलू	58500	19500	78000
05.	प्याज	36000	12000	48000
06.	लहसून	56250	18750	75000
उद्यानिकी फसले:-				
01.	नींबू	63000	21000	84000
02.	आम	36000	12000	48000
03.	अमरूद	27000	9000	36000
04.	संतरा	72000	24000	96000
05.	आँवला	27000	9000	36000
06.	सीताफल	18000	6000	24000
औषधिय फसले :-				
01.	मैथ्या	45000	15000	60000
02.	लेमनग्रास	54000	18000	72000
03.	धोली मूसली सफेद	30600	10200	40800

विषय क्रमांक 03 :- अल्पकालीन ऋण के लिए व्यक्तिगत कृषक सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण।

निर्णय 03 :- अल्पकालीन ऋण के लिये व्यक्तिगत कृषक सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा बैंक संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प क्रं 10 दिनांक 07.08.09 के अनुसार ऋण सीमा नकद रु. 2.00 लाख एवं वस्तु ऋण 1.00 लाख कुल योग रुपये 3.00 लाख तक ऋण सीमा स्वीकृत की गयी है। तदानुसार कृषक सदस्यों को उनकी भूमि (जोत) के आधार पर पात्रता अनुसार साख सीमाये स्वीकृत की जावे।